

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बालू सिंह को

बनाम

बनाम

प्रतिवादीगण

नरेन्द्र सिंह को

किस्म प्रकारण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.-137/2017

तारिख हुगम	हुगम या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुगम की तामील में जारी हुये।
10/04/2017	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 53,88..... राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17.15.17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(12-1)</p>	
8/7/17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9.10.17 को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;">(12-1)</p>	
9-10-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 4/12/17 को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;">(12-1)</p>	
4.12-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 17.01.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;">(12-1)</p>	
17.1.18	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14.3.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p style="text-align: right;">(12-1)</p>	

14.3.18
पीठासीन अधिकारी की मिति में/प्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9.4.18 को प्रस्तुत करें।

डिकी नमूकदमें इच्छादाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-गौराज

मु0न0 137/2017

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपनो द्वार-2018

श्रीगण-

1. नानुसिंह पुत्र हरीसिंह
2. छोटी कंवर पत्नी हरीसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण गुगरियाली तहसील जायल, नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. नरेन्द्र सिंह
2. विनोद कंवर
3. रतन कंवर
4. जसोदा कंवर पुत्र/पुत्रिया हरिसिंह
5. जसोदा कंवर पुत्री मुन्नी कंवर
6. किसना कंवर पुत्री मुन्नी कंवर
7. प्रेम कंवर पुत्री मुन्नी कंवर
8. पुजा पुत्री मुन्नी कंवर
9. निकिता पुत्री मुन्नी कंवर
10. अंकिता पुत्री मुन्नी कंवर
11. गौरी पुत्री मुन्नी कंवर
12. दशरथ सिंह पुत्र मुन्नी कंवर जातियान राजपुरोहित प्रतिवादी संख्या 5 से 11 नावालिंक जरिये कुदरती पिता हुवम सिंह पुत्र माल सिंह जाति राजपुरोहित निवासी सुजानगढ
13. हुवम सिंह पुत्र मालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सुजानगढ
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-15.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुवम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के सामलाती हक बंट में मौजा गुगरियाली के खेत ख नं 226 रकबा 03.17 बीघा, ख नं 229 रकबा 12.19 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादीगण व प्रतिवादीगण के सामलाती हक बंट में मौजा गुगरियाली के खेत ख नं 79 रकबा 0.17 बीघा रखा जाकर सहखातेदार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख कसूल योगो तक x को अदा करे। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.05.2018 को जारी किया गया।

मुकद	रूपये	पते	मुदायला	पते
स्टाम्प अजी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प दजह साबूत मेहनताना बकील खर्चा गवाहन फीस कमीनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतकरिक	गायल		स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अजी मेहनताना बकील खर्चा गवाहन फीस कमीनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतकरिक	जायल, जिला नागौर

नोट - इस खर्च के काम पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर